

कानून की समझ

पाठ का सारांश-कानून कई प्रकार के होते हैं। जैसे—विवाह की उम्र सीमा, दहेज लेने के विरुद्ध कानून, मताधिकार का कानून, संपत्ति खरीदने-बेचने के नियम, विभिन्न प्रकार के झगड़ों को निपटाने के कानून, गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिला दिलाने का कानून आदि। किसी भी सामूहिक व्यवस्था के संचालन के लिए सरकार जो नियम बनाती है, उसे कानून कहा जाता है। बिना नियमों-कानूनों के व्यवस्थित समाज संगठित व शांत नहीं रह सकता। कानून मानव कल्याण और मानवीय अधिकारों के आधार पर बनाये जाते हैं। विशेष परिस्थिति में जनता के विरोध पर कुछ कानूनों को वापस ले लिया जाता है या उनमें कुछ संशोधन किये जाते हैं।

कानून कैसे बनते हैं ?— जनता की ओर से जनता के प्रतिनिधि कानून का निर्माण करते हैं। भारत में कानून बनाने का दायित्व संविधान ने भारतीय संसद को दिया है, क्योंकि सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता की सुविधा के लिए या जनता द्वारा आवाज उठाये जाने पर संसद के दोनों सदन-लोकसभा और राज्यसभा में उन कानूनों को पास करने के बाद उन्हें लागू कर दिया जाता है। इन बने हुए कानूनों को देश के हर नागरिक को मानना होता है।

संसद में शिक्षा अधिकार कानून पर बहस—संविधान के अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान रखा गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था अगले 10 वर्षों में राज्य द्वारा की जानी चाहिए। संसद में बहस के बाद यह कानून बन गया।

क्या कानून सब पर लागू होते हैं ?

हमारे देश का कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर व्यक्तियों के बीच आपस में भेदभाव नहीं करता। हमारे देश का कानून देश के हर नागरिक पर समान रूप से लागू होता है।

अलोकप्रिय कानून का उदाहरण-

बिहार प्रेस बिल 1980 एवं अन्य घटनाएँ-

दमनकारी कानूनों का जनता जब पुरजोर विरोध करती है तो सरकार को स्वयं या न्यायालयों को हस्तक्षेप से वे कठोर कानून वापस लेने होते हैं जो जनता के हितों के खिलाफ होते हैं। जैसे- बिहार राज्य 1980 में बिहार प्रेस बिल के नाम से राज्य विधानपालिका द्वारा एक कानून पारित किया गया था। इस कानून के अनुसार कोई व्यक्ति, अखबार या पत्रिका यदि सरकार की आलोचना करे तो सरकार उसे दण्डित कर सकती थी। लोगों ने इस कानून के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन-धरना वगैरह कर उच्च न्यायालय की शरण ली। अंत में उच्च न्यायालय और जनता के दबाव में बिहार सरकार को यह विधेयक वापस लेना पड़ा। ऐसे ही कई और कानूनों का जनता ने विरोध किया और सरकार को उन कानूनों को वापस लेना पड़ा।